# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## आदेश

आदेश संख्याः– 2/अ0प्र0–1–92/2016 1144/पटना, दिनांक :– 19.8.21

श्री ललन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर के विरूद्ध आय से अधिक संपति अर्जित करने के आरोप के लिए निगरानी थाना कांड संख्या 45/2016 दिनांक 25.04.2016 दर्ज किये जाने के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 2360 दिनांक 29.07.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही उक्त आरोपों पर विभागीय अधिसूचना संख्या–2964 दिनांक 28.09.2016 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. कालांतर में अधिसूचना सं0–1573 दिनांक–25.09.2020 द्वारा आरोपी को निलम्बन मुक्त कर दिया गया किन्तु निलम्बन अवधि के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि आरोपी के निलम्बन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। इस प्रकार ई0 कुमार दिनांक 29.07.2016 से 24.09.2020 तक निलंबित रहे।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपी अभियंता के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नही माना गया। संचालन पदाधिकरी के जाँच प्रतिवेदन का समीक्षोपरांत अंतिम निर्णय लेने के दौरान ही ई0 ललन कुमार की मृत्यु दिनांक–19.04.2021 को हो गयी।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं0–8811 दिनांक–18.07.2017 की कंडिका–4 के अनुसार "विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जाएगा।"

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम–11 के उप नियम–6 मे यह प्रावधान है कि –

*"जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही या किसी न्यायालय में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लम्बित रहते हुए निलम्बन वापस लिया जाता है वहाँ सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यवाही पूरी होने के पहले इस नियम के उप–नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वप्रेरण से कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात समीक्षा की जायेगी और उसके द्वारा यथास्थिति उप–नियम (3) या उप–नियम–(5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित किया जायेगा।"*

5. ई0 कुमार मृत्यु के समय निलम्बित नहीं थे, अपितु उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अन्तिम रूप से निष्पादित नहीं हुआ था। ई0 कुमार के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए संचिकास्त करने एवं प्रासंगिक नियम–II के उप नियम–6 के तहत स्व0 कुमार के निलंबन अवधि को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में,

(i) स्व० ललन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर के विरूद्ध अधिसूचना संख्या–2964 दिनांक 28.09.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए संचिकास्त किया जाता है।

(ii) स्व० कुमार के निलम्बन अवधि दिनांक 29.07.2016 से 24.09.2020 तक को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित की जाती है तथा उनके परिवार को उक्त अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, जिसके लिए वे निलंबित नहीं होने पर हकदार होते। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.8.21

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ०प्र०–1–92/2016 1144 /पटना, दिनांक :– 19.8.21

**प्रतिलिपि**:–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.21

उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ०प्र०–1–92/2016 1144 /पटना, दिनांक :– 19.8.21

**प्रतिलिपि** :– कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्रैया भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.21

उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–92/2016 1144 /पटना, दिनांकः– 19.8.21

**प्रतिलिपि**:– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/श्रीमती नीतू रानी, पत्नी स्व0 ललन कुमार, बांस कोठी, किश्चन कॉलोनी, गेट न0–94, पो0–जिला–पटना–800011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.21

उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–1–92/2016 1144 /पटना, दिनांक :– 19.8.21

**प्रतिलिपि** :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

19.8.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–92/2016 1144 /पटना, दिनांकः– 19.8.21

**प्रतिलिपि** :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.8.21

उप सचिव